



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN : U74899DL1963GOI003913

ISO Certificate NO. 9001 2008 & 14001 2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

मुख्यालय : बीज भवन, पुसा परिसर, नई -दिल्ली 110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./कृषि/10-05/2021-22/

दिनांक: 23.03.2022

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राज0) में रबी 2021-22 के दौरान की बीजाई की गई लगभग गेहूँ की 135.50 एकड़, जौ की 94.50 एकड़ एवं जई की 1145.50 एकड़ खड़ी फसल को फार्म के कम्बाइन से कटाई करने के उपरांत स्वयं के साधन से तुड़ी बनाने के दौरान निकलने वाला दाना फार्म साधन में लोड करना होगा तथा तुरंत सपूर्द करना होगा के कार्य हेतु इच्छुक ठेकेदारों से निविदा चकवार फसलवार निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राज0) के नाम से दिनांक 31.03.2022 को दोपहर 02:30 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र का विक्रय 31.03.2022 को दोपहर 01:00 तक किया जाएगा। निविदा के संबंध में आगे कोई भी सूचना एवम् शुद्धि पत्र होगा तो वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखा जा सकता है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन दोपहर 03:00 बजे खोली जाएगी। उपरोक्त कार्य के लिए प्रति चक प्रति फसल के लिए अलग अलग धरोहर राशि 5000 रु (अखरे पाँच हजार रुपये मात्र) बैंक डिमाण्ड-ड्राफ्ट, RTGS/NEFT के माध्यम से, जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251) पर देय हो अथवा नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के खाता न0 3396 3396 672 (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251) में ऑनलाइन जमा कराई जा सकती है। धरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एंवम् शर्तें किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र अखरे रुपये 236.00 (फार्म फीस + 18 % GST) का बैंक डिमाण्ड-ड्राफ्ट, RTGS/NEFT के माध्यम से फार्म के खाते में जमा कर, कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के खाते का विवरण की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

सहा.प्रबन्धक (उत्पा.)
कृते निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरत्न कंपनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN U74899DL1963GOI003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर: जिला-श्रीगंगानगर(राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालय:-बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./कृषि/10-05/2021-22/

दिनांक: 23.03.2022

निविदा प्रपत्र

फार्म पर वर्ष 2021-22 में खड़ी गेहूँ, जौ एवं जई की फसल को फार्म कम्बाइन द्वारा गेहूँ, जौ एवं जई की फसल की कटाई के उपरान्त स्वयं के साधन से तुड़ी बनाकर ले जाना दाना फार्म को सुपुर्द करना, के कार्य को करने का इच्छुक हूँ। मैं फार्म के निर्धारित नियमों शर्तों के अनुसार कार्य करूंगा/करूंगी। मेरी प्रस्तावित दरें निम्न प्रकार हैं:-

खण्ड	घक	क्षेत्र एकड़ में			प्रस्तावित दर प्रति एकड़ में (फार्म पर जमा करना)					
					स्वयं के साधन से खड़ी फसल (उपलब्ध क्षेत्र) काटकर एवं स्वयं के साधन से तुड़ी बनाकर ले जाना। पैदावार फार्म ट्राली में डाल दूंगा एवं दाना फार्म को सुपुर्द कर दूंगा। (दर प्रति एकड़ रुपये में)			फार्म कम्बाइन द्वारा फसल कटाई के उपरान्त स्वयं के साधन से तुड़ी बनाकर ले जाना व दाना फार्म को दूंगा। (दर प्रति एकड़ रुपये में)		
					गेहूँ	जौ	जई	गेहूँ	जौ	जई
1	1 BGD-A	17	12.5	39.00						
	3 BGD			172.00						
	3 BGD pivot			99.00						
	2 BGD	12		137.00						
	4 BGD			17.00						
Total block-1		29.00	12.50	464.00						
2	IWM-II Pivot, 4 MGM Pivot, 6 MGM		54.00	181.00						
	2 SAD	47.00	28.00	63.00						
	2-3 mgm pivot & flood	27		211.5						
	EPO	5								
Total block-2		79.00	82.00	455.50						
3	IWM-I			15.50						
	9-10 SAD	25		70.00						
	1-5 MGM	2.5		140.00						
Total block-3		27.50	0.00	225.50						
G.Total		135.50	94.50	1145.00						

नोट:- एरिया को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

हस्ताक्षर.....

ठेकेदार के नाम.....

पूर्ण पता.....

मोबाईल नं.....

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला श्रीगंगानगर (राज.)

गेहूँ, जौ व जई (रबी 2021-22) की फसल की फार्म कम्बाइन से कटाई करने के उपरान्त तुड़ी स्वयं के साधन से बना कर ले जाने हेतु नियम व शर्तः:-

(अ) खड़ी फसल की फार्म कम्बाइन से कटाई करने के उपरान्त स्वयं के साधन से तुड़ी बनाने के कार्य करने के दौरान प्राप्त पैदावार को फार्म ट्राली में डालना एवं सुपुर्द करना होगा।

(ब) फसल कटाई के उपरान्त तुड़ी बनाने के कार्य करने के दौरान निकलने वाला दाना फार्म के सुपुर्द करना होगा।

सामान्य नियम व शर्तः:-

1. उपरोक्त कार्य के लिये प्रतिचक्र प्रतिफसल के लिये अलग अलग धरोहर राशि 5000.00 (अखरे पाँच रुपये मात्र) बैंक डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के खाते भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला पर देय हो अथवा नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के खाते (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251) खाता नम्बर 33963396672 में ऑनलाईन ट्रांसफर करवाई जा सकती है।
2. गेहूँ, जौ व जई की तुड़ी बनाने हेतु दरें प्रति एकड़ चक्रवार देनी होगी।
3. तुड़ी बनाने के दौरान निकलने वाला दाना फार्म को तुरंत सुपुर्द करना होगा।
4. कार्य आदेश जारी होने के 15 दिन के अन्दर स्वीकृत क्षेत्र की समस्त राशि जमा करवानी होगी। 15 दिवस के अन्दर राशि जमा नहीं होने पर स्वीकृत क्षेत्र का ठेका स्वतः ही रद्द हो जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी, जिसकी अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी।
5. फसल कटाई होने के उपरान्त 15 दिन के अन्दर तुड़ी बनाकर, समस्त राशि नियम-शर्त संख्या-4 के अनुसार जमा होने पर उठाना होगा।
6. फसल कटाई होने के उपरान्त 15 दिन के अन्दर तुड़ी नहीं बनाने तथा उसको खेत से नहीं उठाने पर समस्त तुड़ी को नष्ट कर दिया जायेगा, जिसका ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
7. तुड़ी बनाने के दौरान यदि फार्म की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान ठेकेदार एंव उसका कामगारों द्वारा किया जाता है, तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
8. तुड़ी बनाने का कार्य खण्ड प्रभारी/चक्र प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगा।
9. तुड़ी की सुपुर्दगी लेने के लिए चक्र प्रभारी से गेट पास लेना होगा।
10. निविदादाता ठेके की अवधि के दौरान शिकार करने की सख्त मनाही है। ऐसा करने पर ठेका रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
11. समस्त राशि जमा नहीं होने पर भी तुड़ी जारी करने पर खण्ड प्रभारी/चक्र प्रभारी पूर्णरूप से जिम्मेवार होंगे।
12. तुड़ी बनाने के दौरान यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फार्म की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
13. ठेकेदार को पेन कार्ड तथा परिचय पत्र की छायाप्रति जमा करवानी होगी।
14. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की जन-धन की हानि एवं दुर्घटना की वैधानिक व संपूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। फार्म का किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी, ई0पी0एफ0, दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व ठेकेदार की ही होगी।

15- 100 रूपये का स्टाम पेपर अनुबंध के लिए प्रस्तुत करना होगा।

16- ARBITRATION

In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.

निविदादाता के हस्ताक्षर